

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 858

Dated: 19-06-2017

Page No.20 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 0047 – Other Fiscal Services

- 1) Insert the following Minor Head below existing Minor Head '109-Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Inserted vide CS 692 dated 26-04-2010)':

111- Fines, Penalties & Forfeitures (3)


- 2) Insert following footnote (3) below this Major Head:

(3) (i) This Minor Head will be used for classification of Fines, Penalties, Forfeitures under all Acts including 'receipts on account of penalties imposed for compounding of contravention of FEMA-1999' & 'Gold Control Act'.

(ii) Distinct sub-heads may be opened for each Act.

(iii) The Fines, Forfeitures and Miscellaneous under 'Smugglers and Foreign Exchange Manipulator (Forfeiture of Property Act, 1976)' will continue to be classified under Minor Head '101- Smugglers and Foreign Exchange Manipulator (Forfeiture of Property Act, 1976) [See foot note 1(d) above].

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/29/2016/MH 0049/Code)


Sr. Accounts Officer (Code)

Note: Draft Correction slip for opening of new Minor Head '110- Remuneration amount credited to SDR holding a/c of India by IMF' already under process.

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 858
दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 20 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 0047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

- 1) निम्नलिखित लघु शीर्ष को विद्यमान लघु शीर्ष ' 109 - मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम, 2002 (शुद्धि पर्ची 692 दिनांक 26-04-2010 द्वारा अंतःस्थापित)' के नीचे अंतःस्थापित करें:

111- जुर्माना, शास्ति और जब्ती (3)

- 2) निम्नलिखित पाद टिप्पणी (3) को इस मुख्य शीर्ष के नीचे अंतःस्थापित करें :

(3) (i) इस लघु शीर्ष का उपयोग 'फेमा - 1999 के समझौते के उल्लंघन करने पर लगाई गई शास्तियों से प्राप्तियां' तथा 'सोना नियंत्रण अधिनियम' सहित सभी अधिनियमों के अंतर्गत जुर्माना, शास्ति, जब्ती के वर्गीकरण के लिए किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक अधिनियम के लिए अलग उप शीर्ष खोला जाए।

(iii) 'तस्कर और विदेशी विनिमय जालसाज (संपत्ति की जब्ती अधिनियम, 1976)' के अंतर्गत जुर्माना, जब्ती और विविध का वर्गीकरण लघु शीर्ष '101- तस्कर और विदेशी मुद्रा जालसाज (संपत्ति की जब्ती अधिनियम, 1976) [ऊपर पाद टिप्पणी 1 (घ) देखें] के अंतर्गत जारी रहेगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/29/2016/एमएच 0049/कोड)

विनय मिश्रा

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड)

नोट: नए लघु शीर्ष '110-आईएमएफ द्वारा भारत का एसडीआर धारक खाता को क्रेडिट की गई प्रतिफल राशि' को खोलने के लिए शुद्धि पर्ची का प्रारूप पहले ही प्रक्रियाधीन है।